

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या:- पी0पी0एम0-148/2013-

3311

/कृ0, पटना दिनांक 07-07-2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय - फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2018-19 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार) रुपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2018-19 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार) रुपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में सर्वाधिक उपज देने वाले प्रभेदों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की परिस्थितियों में फसल प्रभेदों के अनुकूलता की जांच तथा सत्यापन की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुये दूसरे राज्यों में विकसित प्रभेदों को राज्य की परिस्थितियों में परीक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था हेतु यह योजना स्वीकृत की जाती है। यह अनुदान आवर्तक है। उक्त योजना अन्तर्गत सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के प्रभेद परीक्षण में शामिल किये जायेंगे। यह स्वीकृति बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-254/2016/नि०अनु०/बि०कृ०वि०/नं०-205 दिनांक 23.05.2018 के क्रम में प्रदान की जाती है। योजना के अधीन 65 केंद्रों पर फसल प्रभेद परीक्षण कार्यक्रम बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जायेंगे। 50,000 रु० प्रति केंद्र/परीक्षण के व्यय आकलन के आलोक में फसल प्रभेद परीक्षण हेतु 65 जाँच केंद्रों के लिए कुल 32.50 लाख रु० स्वीकृत किया जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव/कार्यक्रम अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय से संबंधित बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है: (राशि लाख रु० में)

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | स्वीकृत राशि |
|--|--------------|--------------|
| मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277-शिक्षा, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड 01-2415012770108, विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन | 2158.00 | 26.97 |
| मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0103- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड 01-2415017890103, विषय शीर्ष 0103.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन | 416.00 | 5.20 |
| मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड 01-2415017960104, विषय शीर्ष 0104.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन | 26.00 | 0.33 |
| कुल | 2600.00 | 32.50 |

4. निकासी के लिए स्वीकृत राशि 32.50 लाख रु० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार

कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध कराया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत संबंधित महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक 31.05.17 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या पी०पी०एम०-148/2013 के पृ०सं०-76/टि० पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-148/2013 के पृ०सं०-77/टि० पर दिनांक- 30.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

D. S. Ray
6.9.18

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 07-09-2018

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-148/2013- 3311 /कृ०, पटना

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. S. Ray
6.9.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 07-09-2018

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-148/2013- 3311 /कृ०, पटना

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. S. Ray
6.9.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 07-09-2018

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-148/2013- 3311 /कृ०, पटना

प्रतिलिपि- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक शष्य (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

D. S. Ray
6.9.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 07-09-2018

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-148/2013- 3311 /कृ०, पटना

प्रतिलिपि:- कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. S. Ray
6.9.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।




BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY, SABOUR
(BHAGALPUR) 813210, BIHAR


352

Dr. P. K. Singh, Ph.D.
Director Research

Cell: +91-9431897516
Tele/Fax : (0641) 2451056
Email: drbau1908@gmail.com



सं० सं०/२५४/२०१६/नि०अनु०/बि०कृ०विश्व०/नं०२०८.दिनांक :- 23.5.18...



श्री सुधीर कुमार
बिहार सरकार, कृषि विभाग,
पटना।

विशेष लक्ष्य कृषि

रु

विषय : फसल प्रभेद परीक्षण हेतु वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के योजना प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,
उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि Coordinated Varietal Trial बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर किये जा रहे हैं, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में कुल राशि रु० ३२.५० लाख (रु. बत्तीस लाख ५० हजार मात्र) (@Rs. 50,000/- for 65 Centres) की आवश्यकता होगी। इसके लिए योजना प्रस्ताव तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक: Annexer I & II

भवदीय
पि०के०एस०
23/5/18
(निदेशक अनुसंधान)

रु
23/5/18

कृषि विभाग, सबौर
30.05.2018

रु

23/5/18
रु

Proceedings of the Review meeting on "Restructuring of State Coordinated Varietal Trials" under the Chairmanship of Honorable VC, BAU Sabour on 06/04/2018 at 10.30 AM in the Conference Hall of BAU Sabour

A meeting was held under the Chairmanship of Dr. A. K. Singh, Hon'ble VC, BAU Sabour at VC conference Hall, BAU, Sabour on April 6th 2018 at 10:30 AM on the topic as mentioned above. Dr. P.K. Singh Director Research, BAU, Sabour, Dr. M. Kumar, Director Research, DRPCAU, Pusa, and other scientist/officers were present in the meeting.

The following discussions were made and decisions were taken in the meeting:

- 1) The Director Research, BAU, Dr. P.K. Singh, in his welcome address to the chair and the respected members, briefed about the importance of the meeting and focused on the restructuring of State Coordinate Varietal Trials for its effective implementation by both the Agriculture Universities i.e. BAU, Sabour and DRPCAU, Pusa in the state of Bihar.
- 2) The Director Research, DRPCAU Pusa, Dr. M. Kumar, had informed that State Varietal trial was started in Rabi of 2013 and continued smoothly till 2015 for testing of Rice, Wheat, Maize, Chickpea, Rapeseed Mustard and Mung bean and thereafter became little slower due to certain reasons. Therefore, restructuring of these trials is needed in order to strengthen it for its smooth implementation in the state of Bihar.
- 3) Thereafter, Deputy Director Research, BAU Sabour Dr. Sailabala Dei, informed the house Chairman that SVTs have been conducted by BAU Sabour in the year 2017-18 by utilizing some unspent balance of the previous years and report would be duly submitted to the Govt.
- 4) Then, as per the suggestions of the Director Research, BAU Sabour, Dr. P.K. Singh, agenda wise discussion were held and decisions were taken as under:
 - The selection of crops, testing centers, crop-leaders, crop-coordinators and their responsibilities were discussed and fixed (Table-1);
 - Accordingly it was also proposed to include the crops such as Rice, wheat, maize, chickpea, lentil, mungbean, pigeon pea, rapeseed & mustard and linseed;

